राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांकः– 19.12.2025

महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु **संरक्षण अधिकारी (Protection Officer)** के पदों हेतु आयोग द्वारा विज्ञापित **प्रतियोगी परीक्षा–2024** के अन्तर्गत प्रश्न पत्र–प्रथम एवं प्रश्न पत्र–द्वितीय की लिखित परीक्षा (Objective Type) दिनांक 13.09.2025 को प्रातः एवं सायं सत्र में आयोजित की गई।

उपरोक्तानुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्न–पत्रों की परीक्षा में उपस्थित एवं सम्बन्धित सेवानियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थी को पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया जाता हैः–

रोल नम्बर

2710967

TOTAL CANDIDATE:- 01

उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची/वरीयता सूची नहीं है, अंतिम रुप से सफल अभ्यर्थी की सूची (परिणाम) संबंधित विभाग (महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा जारी की जायेगी।

उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थाई रुप से सम्मिलित किये गये उक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह अपनी SSO ID के माध्यम से recruitment portal पर My Recruitment → Detailed Form Cum Scrutiny → Apply Now का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें। ऑनलाईन विस्तृत आवेदन–पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 25.12.2025 से दिनांक 31.12.2025 (रात्रि 11:59) तक लिंक खोला जायेगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन–पत्र एवं दस्तावेजों की जाँच संबंधित विभाग (महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा ही की जायेगी।

अतः ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग (महिला एवं बाल विकास विभाग) की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन–पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होवें। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी।

विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थी की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने पर अभ्यर्थी की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

संबंधित विभाग से दस्तावेज जाँच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थी की सूची विभाग द्वारा आयोग कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थी का नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किया जायेंगा।

CUT OFF MARKS

CATEGORY		CUT OFF MARKS
S.C.	GEN.	N.A.
S.T.	GEN.	ALL

नोटः–

1. 'N.A.' से तात्पर्य 'Candidates Not Available Due to Minimum Qualifying Marks As Per Service Rules' से है।
2. 'ALL' से तात्पर्य 'All Candidates Who Obtained Minimum Qualifying Marks As Per Service Rules' से है।
3. आयोग द्वारा जारी किये गये विस्तृत विज्ञापन दिनांक 19.07.2024 में उल्लेखित ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में 05 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 03 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। उक्त 03 अभ्यर्थियों के रोल नम्बर पृथक से आयोग की वेबसाईट पर जारी किये जा रहे है।

(रामनिवास मेहता)
सचिव